




फर्द अंककाम

रामअण्णार बनाम तहसीलदार

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या... 75/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/8	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते जवाब TDR व अण्णारी @ जवाब दिनांक 21/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी फागी</p>	
7/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/2/25 को पेश है।</p>	
14/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/2/25 को पेश है।</p>	
21/2/25	<p>पक्षकारान के वकील उपस्थित है। आज वकील साहबाने नया कार्य उपस्थित किया। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश है।</p>	
7/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। वकील साहबी ने अपने प्रा. पत्र धारा 136 को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर नोटप्रेस करने हेतु सिबेदन किया। वकील साहबी ने आडेशिका पर नोटप्रेस अंकित किया तथा अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः साहबी का सार्पनि पत्र इसी स्तर पर नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली केसल शुमार लेकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी फागी,</p>	<p>Not pass</p> <p style="text-align: center;"></p>